


पत्रावली के
प्राचीन व ल के
केस। तहसीलदार देवदर को
रिपोर्ट के देवदर के पत्रावली
दिनांक 15/5/26 को केस हो,


सहायक कलेक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

पत्रावली केस।
तहसीलदार देवदर के जरिये पत्रांक
419 दिनांक 11.5.2026 द्वारा रिपोर्ट
केस। रिपोर्ट में अंकन है डिप्राचीगण
निर्विकार अग्रवाल पुत्र नरेन्द्र कुमार अग्रवाल
जाति अग्रवाल व वीर सिंह पुत्र बाबू सिंह
जाति राजपूत द्वारा अपने यमराज न.
73/2, 823/73 का डिगोर बंसल पुत्र
देवीलाल बंसल को विक्रय कर दिया
है व अप्राचीगण बहादुर सिंह पुत्र
सोनसिंह जाति-राजपूत द्वारा अपने
यमराज न. 72 का भी डिगोर बंसल
पुत्र देवीलाल बंसल को विक्रय कर
दिया है। जिन्हे इस उतरण में
पदाकार नहीं बनाया गया है।
अतः उतरण infructuous हो
जाये से जातिरिक्त ठिया जाता है।
प्राचीगण को धारा 251 ए आ
Act के नियमान्तर्गत आवश्यक
पदाकार संशोधित किये जाएं पुत्र
प्राचीगण को पेश करने को

स्वतंत्रता - दी जाती है।

पत्रावली - इसका शुभारंभ होकर
अंबर से रूप हो।



राजेश्वर कलकटर
(अध्यक्ष, अंबर)